महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (राज.)

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर – 321201

Email- info@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :–मसूबृवि / परीक्षा / 2024 / २२८१ दिनांक :–२१-०३-२४

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय परीक्षा 2023–24 के परीक्षा शुल्क एवं विविध शुल्क हेतु प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 18.03.2023 एवं 20.06.2023 में लिये गये निर्णयानुसार एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 14.07.2023 के क्रम में शुल्क संरचना घोषित की गई थी किन्तु उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार (ग्रुप–4) के पत्रांक प–28(3)शिक्षा / ग्रुप–4 / 2015 जयपुर दिनांक 18.01.2024 की पालना में 10 प्रतिशत वृद्धि के अलावा पूर्व में घोषित समस्त शुल्क इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मसूबृवि / परीक्षा / 2024 / 2042 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा समाप्त कर दिये गये थे एवं शुल्क वापसी से विश्वविद्यालय को होने वाली राजस्व क्षति की पूर्ति हेतु राज्य सरकार से पत्राचार किया गया था जिस पर राज्य सरकार के स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.28(3) शिक्षा–4 / 2015 दिनांक 15.03.2024 की पालना में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21.03.2024 की पालना एवं प्रबंध मण्डल व वित्त समिति की आगामी बैठक की अनुमति की प्रत्याशा में बढ़ी हुई शुल्क के समायोजन एवं वापस करने के संबंध में आदेश निम्नानुसार निर्गत किये जाते हैं :–

1. सेमेस्टर प्रथम, द्वितीय वर्ष वार्षिक एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की बढ़ी हुई शुल्क क्रमशः द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के परीक्षा आवेदनों में समायोजित की जायेगी।
2. स्नातक तृतीय वर्ष व स्नात्तकोत्तर उत्तरार्द्ध की बढ़ी हुई शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर परीक्षार्थियों के बैंक खातों में वापस कर दी जावेगी।
3. उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भी किन्हीं अन्य पाठ्यक्रमों में यदि बढ़ी हुई शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई है तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बंधित परीक्षार्थी को उनके बैंक खातों में वापस की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

कुलसचिव

क्रमांक :–मसूबृवि / परीक्षा / 2024 / २२८१ दिनांक :–२१-०३-२४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान,राजभवन, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव (एस.एस) मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. वित्त नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
6. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय,महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्री एण्ड पोस्ट एग्जाम फर्म को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शुल्क वापसी की प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से शुरू करें।
8. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव